न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 42/2021

जगराम पुत्र मुखराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील सीकरी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0।
2. नन्दन पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

3. बुगल पुत्र पूरन जाति गुर्जर निवासी ग्राम डाबक तहसील सीकरी

तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 111, 128 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :– 26/04/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 91/0.86, नया खसरा नम्बर 126/0.66, 127/0.10, 128/0.10 बांके ग्राम दोदडी तहसील पहाडी में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 91/0.86 पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड था जिसके आगे से उत्तर से दक्षिण कैथवाडा से गुलपाडा सडक निकल जाने के कारण 0.10 हैक्टर रकबा सडक में चला गया जो आज भी गैर0मुम0 सडक के नाम से दर्ज है। व शेष 0.76 हैक्टर आराजी को मुझ प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये बयनामा दिनांक 07/01/1998 को खरीद किया गया और उसी दिन से मैं प्रार्थी व तरतीवी अप्राथी आज तक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 91/0.86 नये खसरा नम्बर 126/0.66, 127/0.10, 128/0.10 बनाये गये उक्त तीनों नम्बर राजस्व रिकॉर्ड गलत तरमीम किये गये है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौका व कब्जा के विपरीत खसरा नम्बर 126, 127, 128 बनाये गये है जबकि पुराने खसरा नम्बर 91/0.86 में से 0.10 हैक्टर सडक में जाने के बाद 0.76 हैक्टर रकबा मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का शेष रहा था। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 128 को गलत बनाया है। क्योकि पूर्व में ही हमारे खसरा नम्बर 0.86 में से 0.10 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

रकबा गैर0मुम0सडक के नाम दर्ज हो चुका है। जिसका खसरा नम्बर 127/0.10 हैक्टर है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के हित व हक समान है अप्रार्थी संख्या 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे मुकदमें में तरतीवी पक्षकार बनाया गया है नक्शा नवीन दिनांक 07/09/2021 को प्राप्त हुआ जिससे मुझे नक्शे में अशुद्धि की जानकारी हासिल हुई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नवीन जमाबन्दी व नक्शे में हाल कब्जा के अनुसार खसरा नम्बर 128/0.10 हैक्टर को विलोपित कर मुझ प्रार्थी के खसरा नम्बर 126/0.66 के स्थान पर 126/0.76 हैक्टर शुद्ध किया जावे क्योकि सडक में गये हुये 0.10 हैक्टर का पूर्व के ही खसरा नम्बर 127/0.10 गैर0मुम0 सडक दर्ज रिकॉर्ड किया जा चुका है अर्थात 0.10 हैक्टर के गै0मुम0 सडक के दो नम्बर ना बनाते हुये एक ही नम्बर बनाया जावे और प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 126/0.66 के स्थान पर 126/0.76 हैक्टर शुद्ध किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 3 मय वकील उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध दिनांक 29/03/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना खसरा नम्बर 91/0.86 है जिसमें से 0.10 हैक्टर रकबा सडक में जाने के बाद शेष रकबा 0.76 हैक्टर का बयनामा प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये बयनामा अप्रार्थी संख्या 2 ने करा दिया था। लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने नवीन नक्शे में पुनः 0.10 हैक्टर रकबा को गै0मुम0 सडक दर्शा दिया गया है। अतः खसरा नम्बर 127/0.10 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 128/0.10 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर कुल रकबा 0.10 हैक्टर को विलोपित कर प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 का खसरा नम्बर 126/0.66 के स्थान पर 0.76 हैक्टर रकबा संशोधित किया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136, 128 ,111 एल0आर0 एक्ट स्वीकार कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नवीन जमाबन्दी व नक्शे में हाल व कब्जा के अनुसार खसरा नम्बर 128/0.10 हैक्टर को विलोपित कर मुझ प्रार्थी के खसरा नम्बर 126/0.66 के स्थान पर 126/0.76 हैक्टर शुद्ध किया जावें। क्योकि सडक में गये हुई 0.10 हैक्टर का पूर्व के खसरा नम्बर 127/0.10 हैक्टर गैर0मुम0 सडक दर्ज रिकॉर्ड किया जा चुका है। अर्थात 0.10 हैक्टर के

Scanned with CamScanner

गैर0मुम0 सडक के दो नम्बर न बनाते हुये एक ही नम्बर बनाया जावे मेरे व प्रार्थी के खसरा नम्बर 126/0.66 हैक्टर के स्थान पर 126/0.76 हैक्टर शुद्ध कर संशोधन किया जावें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस वकील फरीकेन का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण रकबा शुद्धि का है। मुताविक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 126/0.66, 127/0.10, 128/0.10 बांके ग्राम दोदडी तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि साविक खसरा नम्बर 91/0.86 से निर्मित हुए है। साविक खसरा नम्बर 91/0.86 पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड था जिसके आगे से उत्तर से दक्षिण कैथवाडा से गुलपाडा सडक निकल जाने के कारण 0.10 हैक्टर रकबा सडक में चला गया था। शेष 0.76 हैक्टर आराजी को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये बयनामा दिनांक 07/01/1998 को खरीद किया गया था।

परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 91/0.86 से नये खसरा नम्बर 126/0.66, 127/0.10, 128/0.10 बनाये गये उक्त तीनों नम्बर राजस्व रिकॉर्ड गलत तरमीम किये गये है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा संख्या 126 को 0.76 की तुलना में 0.66 का निर्मित किया है एवं गैर मुमकिन सड़क के दो नवीन खसरा संख्या 127/0.10 एवं 128/0.10 निर्मित किये है। जो कि पूर्व की तुलना में 0.10 है0 अधिक है। अतः खसरा नम्बर 127/0.10 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 128/0.10 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर कुल रकबा 0.10 हैक्टर को विलोपित कर प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 का खसरा नम्बर 126/0.66 के स्थान पर 0.76 हैक्टर रकबा संशोधित किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य पर तहसीलदार पहाड़ी ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में सहमति जाहिर की है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 126 का रकबा 0.66 है0 के स्थान पर 0.76 है0, आराजी खसरा सं0 127 का रकबा 0.10 है0 के स्थान पर 0.05 है0 एवं आराजी खसरा सं0 128 का रकबा 0.10 है0 के स्थान पर 0.05 है0 शुद्ध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पहाड़ी (भरतपुर)